

भारतीय गैर न्यायिक

दस  
रुपये

TEN  
RUPEES

Rs. 10



INDIA NON JUDICIAL



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

17AC 320414

सुश्रद्ध

रिटर्निंग ऑफिसर

77 वाणसी संसदीय  
वाणसी

सुश्रद्ध कथन संलग्न प्रारूप पर अंकित है।

*Ad  
Kumar  
n*



डि० अ० ठाकुर  
वसीरकिशर



"प्ररूप 26"  
(नियम 4क देखिए)



77 वाराणसी संसदीय (निर्वाचन क्षेत्र का नाम)  
निर्वाचन क्षेत्र से लोक सभा (सदन का नाम) के लिए  
निर्वाचन के लिए रिटर्निंग आफिसर के समक्ष अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला शपथपत्र

भाग-क

मैं वखीर कितर \*\*पुत्र/पुत्री/पत्नी इदुखाग कितर  
आयु 50 वर्ष, जो प्रोनो 1443 लोहता खास आर्थिक लोहता वाराणसी  
(डाक का पूरा पता लिखें) का/की निवासी हूँ  
और उपरोक्त निर्वाचन से अभ्यर्थी हूँ सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ/करती हूँ शपथ पर  
निम्नलिखित कथन करता हूँ/करती हूँ :-

(1) मैं वखीर कितर (\*\*सामयिक दल का  
क्रम) द्वारा खड़ा किया गया अभ्यर्थी / \*\*एक स्वतंत्र अभ्यर्थी के रूप में लड़ रहा हूँ।  
(\*\*जो लागू न हो उसे काट दें)

(2) मेरा नाम 386 शिवपुर खासा-य उत्तर प्रदेश (निर्वाचन क्षेत्र और राज्य का  
नाम) में भाग संख्या 257 के क्रम संख्या 955 पर प्रविष्ट है।

(3) मेरा संपर्क टेलीफोन नं० 09936359742 है/हैं और मेरा ई-मेल  
आईडी (यदि कोई हो तो) शून्य है और मेरा/मेरे सोशल  
मिडिया एकाउन्ट शून्य है/हैं।

(4) स्थायी लेखा संख्यांक (पैन) के व्यौरे और आय-कर विवरणी फाइल करने की प्रास्थिति :-

क्रम सं०	नाम	पैन	वित्तीय वर्ष जिसके लिए अंतिम आयकर विवरणी फाइल की गयी है	आयकर विवरणी में उपदर्शित कुल आय (रूपए में)
1.	स्वयं	CEUPK3660N	लागू नहीं होगा	लागू नहीं होगा
2.	पति या पत्नी	लागू नहीं होगा	लागू नहीं होगा	लागू नहीं होगा
3.	आश्रित-1	लागू नहीं होगा	लागू नहीं होगा	लागू नहीं होगा
4.	आश्रित-2	लागू नहीं होगा	लागू नहीं होगा	लागू नहीं होगा
5.	आश्रित-3	लागू नहीं होगा	लागू नहीं होगा	लागू नहीं होगा

27/4/19

(5) मैं ऐसे किसी लंबित मामले में दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त नहीं हूँ जिसमें सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/किए गए हैं।

शून्य

यदि अभिराक्षी ऐसे किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा/करेगी :-


(i) निम्नलिखित मामला (मामले) मेरे विरुद्ध लंबित है जिसमें दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध के लिए न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/किए गए हैं।

(क)	मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याओं सहित संबंधित पुलिस थाना/जिला/राज्य के पूर्ण व्यौरे	शून्य
(ख)	संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और (अपराध) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए आरोपित किया गया है।	शून्य
(ग)	न्यायालय का नाम मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख	शून्य
(घ)	न्यायालय जिसके (जिनके) द्वारा आरोप (आरोपों) की विरचना की गई	शून्य
(ङ.)	तारीख (तारीखें) जिनको आरोप विरचित किए गए थे	शून्य
(च)	क्या समी या कोई कार्यवाही किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोकੀ गई है/हैं।	शून्य

(ii) निम्नलिखित मामला (मामले) मेरे विरुद्ध लंबित है/हैं जिनमें न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया है [पूर्वोक्त मद (i) में वर्णित मामलों से भिन्न] :-

(क)	न्यायालय का नाम मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख	शून्य
(ख)	उन मामलों के व्यौरे जहां न्यायालय ने संज्ञान लिया है, अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए संज्ञान लिया गया है।	शून्य
(ग)	पूर्वोक्त आदेश (आदेशों) के विरुद्ध पुनरीक्षण के लिए फाइल की गयी अपील (अपीलों)/आवेदन (आवेदनों) (यदि कोई हो) के व्यौरे	शून्य

(6) मुझे किसी अपराध (अपराधों) (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-1951 (1951 का 43) की धारा 8 की उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट या उपधारा (3) के अन्तर्गत आने वाले किसी अपराध (अपराधों) से भिन्न के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है/नहीं ठहराया गया है और एक वर्ष या अधिक के लिए कारावास का दंडादेश दिया गया है/नहीं दिया गया है :-



यदि अभिसाक्षी उपयुक्त रूप में सिद्धदोष ठहराया गया और दंडादिष्ट किया गया है तो यह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा।

निम्नलिखित मामलों में मुझे सिद्धदोष ठहराया गया है और न्यायालय द्वारा कारावास का दंडादेश दिया गया है :-

(क)	उन मामलों के व्यौरे, अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए सिद्धदोष ठहराया गया है।	शून्य
(ख)	न्यायालय (न्यायालयों) का नाम, मामला संख्या और आदेश (आदेशों) की तारीख (तारीखें)	शून्य
(ग)	अधिरोपित दंड	शून्य
(घ)	क्या सिद्धदोष ठहराने के आदेश के विरुद्ध कोई अपील फाइल की गयी थी/है। यदि हां, तो अपील के व्यौरे और वर्तमान प्रास्थिति	शून्य

(7) मैं मेरे, मेरे पति या पत्नी और सभी आश्रितोंकी आस्तियों (जंगम और स्थावर आदि) के व्यौरे नीचे देता हूँ :-

अ. जंगम आस्तियों के व्यौरे :

टिप्पण 1 - संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है।

टिप्पण 2 - जमा/विनिधान की दशा में क्रम सं०, रकम, जमा की तारीख, स्कीम बैंक/संस्था का नाम और शाखा सहित व्यौरे दिए जाने हैं।

टिप्पण 3 - सूचीबद्ध कंपनियों के संबंध में बंधपत्रों/शेयर डिबेंचरों का मूल्य स्टॉक एक्सचेंजों में चालू बाजार मूल्य के अनुसार और गैर सूचीबद्ध कम्पनियों की दशा में लेखाबहियों के अनुसार दिया जाना चाहिए।

टिप्पण 4 - यहाँ आश्रित का वही अर्थ है जो उसका लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 75 क के अधीन स्पष्टीकरण (5) में है।

टिप्पण 5 - रकम सहित व्यौरे प्रत्येक विनिधान के संबंध में पृथकतया दिये जाने हैं।

क्रम सं.	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित -1	आश्रित -2	आश्रित -3
(i)	हाथ में नकदी	120000 =	लागू नहीं है	लागू नहीं है	लागू नहीं है	लागू नहीं है
(ii)	बैंक खातों में जमा के व्यौरे (नियत जमा आवधिक जमा और अन्य सभी प्रकार के जमा जिसमें बचत खाते भी हैं), वित्तीय संस्थाओं, गैर बैंककारी वित्तीय कंपनियों और सहकारी सोसाइटियों के पास जमा और ऐसे प्रत्येक जमा में रकम	इलाहाबाद बैंक लोहा कायम सी 29/11/20 5004079 7800 ₹ 161485 =	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य




(iii)	कंपनियों / पारस्परिक निधियों और अन्य में बंधपत्रों, डिबेंचरों / शेयरों तथा यूनिटों में विनिधान के व्यौरे और रकम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(iv)	राष्ट्रीय बचत योजना, डाक बचत, बीमा पालिसियों में विनिधान के व्यौरे और डाकघर या बीमा कंपनी में किन्ही वित्तीय लिखतों में विनिधान और रकम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(v)	किरी व्यक्ति या निकाय जिरामें फर्म, कंपनी, न्यारा आदि को दिए गए वैयक्तिक ऋण/अग्रिम और ऋणियों से अन्य प्राप्य तथा रकम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(vi)	मोटरयान/वायुयान/याट/पोत (मेक, रजिस्ट्रीकरण संख्या आदि क्रय करने का वर्ष और रकम)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(vii)	जेवरात, बुलियन और मूल्यवान वस्तु (वस्तुएं) (भार और मूल्य के व्यौरे)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(viii)	कोई अन्य आस्तियां जैसे कि दावों/हित का मूल्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(ix)	समग्र कुल मूल्य	1982158=00	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

ख. स्थावर आस्तियों के व्यौरे :

टिप्पण 1 - संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है।

टिप्पण 2 - प्रत्येक भूमि या गवन या अपार्टमेंट का इस प्रारूप में पृथकतया वर्णन किया जाना चाहिए।

क्रम सं.	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित -1	आश्रित -2	आश्रित -3
(i)	कृषि भूमि की अवस्थिति (अवस्थितियां)-सर्वेक्षण संख्यांक (संख्याएं)	शून्य	लागू नहीं है	लागू नहीं है	लागू नहीं है	लागू नहीं है
	क्षेत्र (एकड़ में कुल माप)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	स्वीजित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य



	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	विकास संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(ii)	गैर कृषि भूमि की अवस्थिति (अवस्थितियां) सर्वेक्षण संख्यांक (संख्याएं)	गाय सं० 524 स्थित में - लोहा, देहात, अग्रमत, वायणवी	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	1921.99 वर्गफुट	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं)	नहीं	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	7-अगस्त 2012	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	2,00,000=-	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	विकास संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	3,00,000=-	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	8,00,000=-	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(iii)	वाणिज्यिक भवन (अपार्टमेंट सहित) अवस्थिति (अवस्थितियां) सर्वेक्षण संख्यांक (संख्याएं)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	निर्मित क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	विकास संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य



(iv)	आवासीय भवन (अपार्टमेंट सहित) (अवस्थिति) (अवस्थितियां) सर्वेक्षण संख्यांक (संख्याएं)	१-४	१-४	१-४	१-४	१-४
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	१-४	१-४	१-४	१-४	१-४
	निर्मित क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	१-४	१-४	१-४	१-४	१-४
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं)	१-४	१-४	१-४	१-४	१-४
	स्वअर्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	१-४	१-४	१-४	१-४	१-४
	क्रय के समय गूमि की लागत (क्रय की दशा में)	१-४	१-४	१-४	१-४	१-४
	विकास संनिर्माण आदि के माध्यम से गूमि पर कोई विनिधान	१-४	१-४	१-४	१-४	१-४
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	१-४	१-४	१-४	१-४	१-४
(v)	अन्य (जैसे कि संपत्ति में हित)	१-४	१-४	१-४	१-४	१-४
(vi)	पूर्वोक्त (i) से (v) का कुल चालू बाजार मूल्य	8000000=	१-४	१-४	१-४	१-४

(8) मैं, लोक वित्तीय संस्थाओं और सरकार के प्रति दायित्वों/ को शोध्यों के ब्यौरे नीचे देता हूँ :-

(टिप्पण : कृपया बैंक, संस्था, निकाय या व्यक्ति के नाम और उनमें प्रत्येक के समक्ष रकम के ब्यौरे का पृथक विवरण दें)

क्रम सं.	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित -1	आश्रित -2	आश्रित -3
(i)	बैंक/वित्तीय संस्था (संस्थाओं) को ऋण या शोध्य बैंक या वित्तीय संस्था का नाम, बकाया रकम, ऋण की प्रकृति	१-४	लागू नहीं है	लागू नहीं है	लागू नहीं है	लागू नहीं है
	पूर्वोक्त वर्णित से भिन्न किसी अन्य व्यष्टिकों, निकाय को ऋण या शोध्य नाम, बकाया रकम, ऋण की प्रकृति	१-४	१-४	१-४	१-४	१-४
	कोई अन्य दायित्व	१-४	१-४	१-४	१-४	१-४
	दायित्वों का कुल योग	१-४	१-४	१-४	१-४	१-४
(ii)	सरकारी शोध्य : सरकारी आवास से बरतने वाले विभागों को शोध्य	१-४	१-४	१-४	१-४	१-४



जल आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
विद्युत आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
टेलीफोन/मोबाइल आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
सारकारी परिवहन (वायुयान और हेलीकाप्टर सहित) से बरतने वाले विभाग को शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
आय-कर शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
धनकर शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
सेवाकर शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
नगरपालिका/संपत्ति कर शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
विक्रयकर शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
कोई अन्य शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(iii) सभी सरकारी शोध्यों का कुल योग	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(iv) क्या कोई अन्य दायित्व विवादाधीन है, यदि हां तो अंतर्वलिता रकम और उस प्राधिकारी जिसके समक्ष यह लंबित है का वर्णन करें।	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

(9) वृत्ति या उपजीविका के ब्यारे :

(क) स्वयं माँ शालिक अक्सरों पर वृत्त व गायन से धनोपार्जन व अजीविका  
 (ख) पति या पत्नी लागू नहीं होता

(10) मेरी शैक्षिक अर्हता नीचे दिये अनुसार है :- अशिक्षित

(प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/डिग्री पाठ्यक्रम के पूर्ण प्ररूप का उल्लेख करते हुए उच्चतम विद्यालय/ विश्वविद्यालय शिक्षा के ब्यारे देते हुए विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का नाम और उस वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का ब्यारा दे)



भाग-ख

(11) भाग-क के (1) से (10) तक में दिए गए ब्यौरों का उद्धरण

1.	अभ्यर्थी का नाम	श्री/श्रीमती/कु० <u>कसीर किशोर</u>				
2.	डाक का पूरा पता	म.नं. 1443 लोहना 2 गांव आशिरा नोहरा, बाराणसी				
3.	निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और नाम तथा राज्य	17 वाराणसी उत्तर प्रदेश				
4.	उस राजनैतिक दल का नाम जिसने अभ्यर्थी को खड़ा किया है (अन्यथा स्वतंत्र लिखें)	स्वतंत्र				
5.	(i) ऐसे लंबित मामलों, की कुल संख्या जिनमें दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय अपराधों के लिए न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किए गए हैं।	शून्य				
	(ii) ऐसे मामलों की कुल संख्या जिनमें न्यायालय (न्यायालयों) ने संज्ञान लिया है [(ऊपर मद (i) उल्लिखित मामलों से मिनस)]	शून्य				
6.	ऐसे कुल मामलों की संख्या जिनमें सिद्धदोष ठहराया गया एक वर्ष या उरारो अधिक के लिए कारावास से और दंडित किया गया है। [(लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8 की उपधारा (1) उपधारा (2) या उपधारा (3) में निर्दिष्ट अपराधों के सिवाए)]	शून्य				
7.		का स्थायी लेखा सं०	वह वर्ष जिसके लिए अंतिम आयकर विवरणी फाइल की गई है	कुल दर्शित आय		
	(क) अभ्यर्थी	CEVPR3660 N.	शून्य	शून्य		
	(ख) पति या पत्नी	लागू नहीं होता	शून्य	शून्य		
	(ग) आश्रित	लागू नहीं होता	शून्य	शून्य		
8.	आस्तियों और दायित्वों के ब्यारे (रूप में)					
क्रम सं.	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित -1	आश्रित -2	आश्रित -3
क.	जंगम आस्तियां (कुल मूल्य)	1982158 =	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ख.	स्थावर आस्तियां	800000 =	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	I स्वार्जित स्थावर संपत्ति की क्रय कीमत	200000 =	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	II क्रय के पश्चात स्थावर संपत्ति की विकास/संनिर्माण लागत (यदि लागू हो)	300000 =	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	..... की		शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	III अनुमानित वर्तमान बाजार कीमत	800000 =	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	(क) स्वार्जित आस्तियां (कुल मूल्य)	1982158 =	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	(ख) विरासती आस्तियां (कुल मूल्य)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य



9.	दायित्व	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	(i) सरकारी शोध (कुल)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	(ii) बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
10.	ऐसे दायित्व जो विवादाधीन हैं					
	(i) सरकारी शोध (कुल)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	(ii) बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
11.	उच्चतम शैक्षिक अर्हता : <b>अशिक्षित</b> (प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/डिग्री पाठ्यक्रम के पूर्ण प्ररूप का उल्लेख करते हुए, उच्चतम विद्यालय/ विश्वविद्यालय शिक्षा, विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का नाम और वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का ब्यौरा दें।)					

सत्यापन

मैं, ऊपर उल्लिखित, अभिसाक्षी इसके द्वारा यह सत्यापन और घोषणा करता हूँ कि इस शपथपत्र की विषय-वस्तु मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है, और इसका कोई भाग मिथ्या नहीं है तथा इसमें से कोई भी तात्विक तथ्य नहीं छिपाया गया है, मैं यह और घोषणा करता हूँ कि :-

(क) मेरे विरुद्ध ऊपर भाग क और ख की मद 5 और 6 में उल्लिखित दोषसिद्धि का मामला या लंबित मामले से भिन्न कोई दोषसिद्धि का मामला या लंबित मामला नहीं है।

(ख) मेरे पति या पत्नी या मेरे आश्रितों के पास ऊपर भाग क की मद 7 और 8 तथा भाग ख की मद 8, 9 और 10 में उल्लिखित आस्ति या दायित्व से भिन्न कोई आस्ति या दायित्व नहीं है।

आज तारीख 22. 04. 2014 को सत्यापित किया गया

*[Handwritten Signature]*



नि.अं. (कायं)  
कसीर किन्ना

अभिसाक्षी

- टिप्पण 1 : शपथपत्र नामांकन फाइल करने के अंतिम दिन को 3.00 अपराहन तक फाइल किया जाना चाहिए।  
 टिप्पण 2 : शपथपत्र पर किसी शपथ कमिश्नर या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के समक्ष या किसी नोटेरी पब्लिक के समक्ष शपथ ली जानी चाहिए।  
 टिप्पण 3 : सभी स्तम्भों को भरा जाना चाहिए और कोई स्तम्भ खाली न छोड़ें, यदि किसी मद के संबंध में देने के लिए कोई जानकारी नहीं है तो यथास्थिति "शून्य" या "लागू नहीं होता" उल्लिखित किया जाना चाहिए।  
 टिप्पण 4 : शपथ पत्र टंकित या सुपाठयरूप से साफ साफ लिखित होना चाहिए।



उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से संस्थापित  
 समक्ष शपथकर्ता ने शपथ ग्रहण किया  
 प्रस्तुति द्वारा अधिवक्ता, कसीर किन्ना  
 आर. सी. आवास्तव एडवोकेट नोटेरी  
 उत्तर प्रदेश भारत रजि. नं-24(4)2000